SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

कौशल विकास में सुधार द्वारा राष्ट्र निर्माण

म0 जमीलुर रहमान, अर्थशास्त्र विभाग,
बी.एन. कॉलेज, पटना, बिहार, भारत
पंकज कुमार गुप्ता, शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग,
पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Authors
म0 जमीलुर रहमान, अर्थशास्त्र विभाग,
बी.एन. कॉलेज, पटना, बिहार, भारत
पंकज कुमार गुप्ता, शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग,
पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

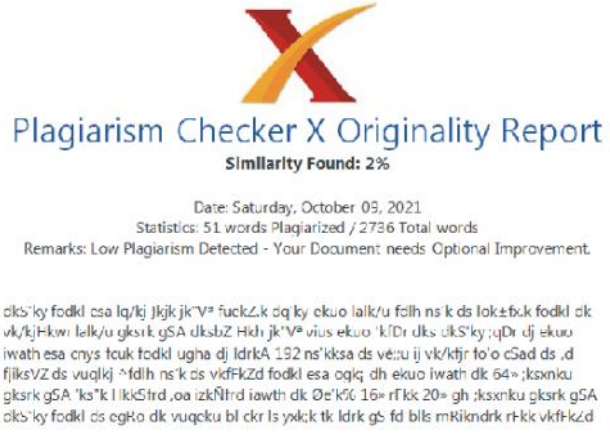

Received on : 09/10/2021
Revised on : -----
Accepted on : 16/10/2021
Plagiarism : 02% on 09/09/2021

Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 2%

Date: Saturday, October 09, 2021
Statistics: 51 words Plagiarized / 2736 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

शोध सार

कुशल मानव संसाधन किसी देश के सर्वांगीण विकास का आधरभूत संसाधन होता है। कोई भी राष्ट्र अपने मानव शक्ति को मानव पूंजी में बदले बिना विकास नहीं कर सकता। विश्व बैंक द्वारा 192 देशों में किए गए अध्ययन के एक रिपोर्ट के अनुसार किसी देश के आर्थिक विकास में वहाँ की मानव पूंजी का 64 प्रतिशत योगदान होता है, शेष भौतिक एवं प्राकृतिक पूंजी का क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत ही योगदान होता है। आज भारत जनांकिकीय लाभांश के दौर से गुजर रहा है। यह विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है, जहाँ की 60 प्रतिशत से भी अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। यदि इस जानांकिकीय लाभांश के कौशल को विकसित किया जाए तो भारत को सभी क्षेत्रों में एक अग्रणी देश बनाया जा सकता है। परंतु कौशल विकास का परिदृश्य यह है कि 2004–05 से 2011–12 के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण की दर 2 प्रतिशत के स्तर पर स्थित रही है। NSSO द्वारा जून 2013 में जारी 68वें दौर के सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार देश में 89.2 प्रतिशत लोगों को किसी भी प्रकार का अनौपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है तथा महज 2.2 प्रतिशत लोगों को ही औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है।

भारत में कौशल विकास की गति अत्यंत धीमी रही है। आजादी के बाद प्रारंभ में कौशल विकास हेतु ITIs एवं पॉलीटेक्निक कॉलेज खोले गए, परंतु इनकी संख्या आबादी के अनुपात में नगण्य थी। बाद के वर्षों में इनकी संख्या में वृद्धि हुई लेकिन आबादी में वृद्धि के अनुपात में अत्यंत कम थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2008 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम तथा 2009 में राष्ट्रीय कौशल विकास निधि का गठन किया गया, लेकिन तब भी

कौशल विकास में अपेक्षित गति प्राप्त नहीं हो सकी। पुनः वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा कौशल विकास में व्यापक सुधार हेतु कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय नाम से एक अलग मंत्रालय का गठन कर कौशल विकास की गति को तीव्रता प्रदान की गई। अभी देश के कुल 17 मंत्रालय कौशल विकास हेतु अपने–अपने स्तर पर कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन कर रहे है। साथ ही जहाँ भारत की पूर्व की 1968 तथा 1986 की शिक्षा नीतियों में कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा को उचित महत्व प्राप्त नहीं हो सका था, वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है तथा वर्ग 6 से व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया है। साथ ही अनेक प्रकार के नीतिगत सुधार भी किए गए है।

मुख्य शब्द

कौशल विकास, जनांकिकीय लाभांश, औपचारिक प्रशिक्षण, शिक्षानीतियां.

कुशल मानव संसाधन किसी देश के सर्वांगिण विकास का आधारभूत संसाधन होता है। कोई भी राष्ट्र अपने मानव शक्ति को कौशल युक्त कर मानव पूंजी में बदले बिना विकास नहीं कर सकता। 192 देशों के अध्ययन पर आधरित विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार 'किसी देश के आर्थिक विकास में वहाँ की मानव पूंजी का 64 प्रतिशत योगदान होता है, शेष भौतिक एवं प्राकृतिक पूंजी का क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत ही योगदान होता है। कौशल विकास के महत्व का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इससे उत्पादकता तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है और परिणामस्वरूप गरीबी कम करने में मदद मिलती है। भारत जैसे देश में जहाँ 2020 में नौजवानों की जनसंख्या कुल आबादी के 34.33 प्रतिशत के बराबर होने का अनुमान है, जनसांख्यिकी का फायदा उठाने के लिए कौशल विकास का महत्व और भी अधिक हो जाता है। बढ़ती श्रमशक्ति को कौशल संपन्न बनाने से उनकी उत्पादकता बढ़ेगी जिसके परिणामस्वरूप आमदनी और जीवन की गुणवता में भी सुधार आयेगा।

अध्ययन का उद्देश्य

क. भारत में कौशल विकास के इतिहास को जानना।

ख. कौशल विकास के क्षेत्र में हुए सुधारों का अध्ययन करना।

ग. कौशल विकास में हुए सुधारों की राष्ट्र निर्माण में प्रासंगिकता का अध्ययन।

घ. कौशल विकास के संदर्भ में वर्तमान चुनौतियों को अध्ययन।

भारत में जनांकिकी और कौशल विकास का वर्तमान परिदृश्य

आज भारत जनांकिकी लाभांश के दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015 के अनुसार, आज भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है जहाँ 62 प्रतिशत से अधिक आबादी कामकाजी उम्र (15–59) वर्ष की है और 54 प्रतिशत से भी अधिक आबादी की उम्र 25 वर्ष से कम है। इस ऊर्जावान जनांकिकीय लाभांश को शिक्षा, कौशल विकास और प्रशिक्षण द्वारा बेहतर मानव संसाधन के रूप में विकसित करने से न सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक बुराइयों का समाधान होगा बल्कि देश का समग्र विकास भी होगा। यह लाभांश अगले 25–30 वर्ष तक बने रहने की संभावना है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा जारी पर्यावरण स्कैन प्रतिवेदन 2016 के अनुसार चिन्हित उच्च वृद्धि वाले 24 क्षेत्रों में 2022 तक कुल 10.34 करोड़ मानव संसाधन की आवश्यकता होगी, साथ ही पहले से कार्यरत् लोगों के कौशल में वृद्धि की जरूरत होगी। अनुमान बताते है कि भारत की कामकाजी उम्र वली आबादी में 2021 से 2031 के बीच हर वर्ष 97 लाख और उसके बाद के दशक 2031 से 2041 तक हर वर्ष पर लाख लोगों का इजाफा होगा। इस प्रकार अनुभवजन्य शिक्षा पर लगातार जोर दे रही दुनिया में व्यावसायिक शिक्षा को केन्द्र में लाने की जरूरत है। वर्तमान संदर्भ में यह और भी जरूरी है कि क्योंकि 2018–19 की आर्थिक समीक्षा के अनुमान कहते है कि कुल श्रमशक्ति का 93 प्रतिशत हिस्सा अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ा है।

इसके विपरीत कौशल विकास का वर्त्तमान परिदृश्य यह है कि:

1. 2004–05 है 2011–12 के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण की दर 2 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर है।
2. 15 साल एवं इससे अधिक उम्र के लोगों में केवल 2.4 प्रतिशत लोगों के पास मेडिसीन इंजीनियरिंग या फिर कृषि क्षेत्र से संबद्ध तकनीकी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट उपलब्ध है।
3. ऐसे लोग ग्रामीण क्षेत्र में महज 1.1 प्रतिशत है तो शहरी क्षेत्र में 5.5 प्रतिशत है।
4. शिक्षित श्रमशक्ति का बड़ा हिस्सा रोजगार के योग्य नहीं है क्योंकि उनके पास कोई रोजगार कौशल नहीं है।
5. NSSO के शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण पर कराए गए 68वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार :

क. भारत में 89.2 प्रतिशत लोगों को किसी भी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं मिला है।

ख. महज 2.2 प्रतिशत लोगों को औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है।

ग. इसमें भी ग्रामीण पुरुषों में मुख्यतः ड्राइविंग और मोटर मैकेनिज्म के क्षेत्रा में तथा महिलाओं को मुख्यतः टेक्सटाइल्स से संबंध्ति कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त है। शहरी क्षेत्र में महिलाओं एवं पुरुषों को मुख्यतः कम्प्यूटर के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त है।

सन् 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौशलों में कमी का आंकड़ा 64 फीसदी था, जो 2018 की रिपोर्ट में सुधरकर 56 फीसदी हो गया, जो भारत में चलाए गए कौशल विकास कार्यक्रमों का परिणाम था। परंतु यही आंकड़ा 2014 में चीन में 24 फीसदी था जो 2018 में 13 फीसदी हो गया।

सन् 2018 के सर्वे के अनुसार भारत दुनिया के उन देशों की सूची में चौथे नंबर पर था जहाँ कौशल का सबसे ज्यादा संकट चल रहा है। भारत के 50 प्रतिशत संस्थानों ने कहा था कि उन्हें अपने जरूरत के लिहाज से कुशल कर्मचारी नहीं मिल रहे, जबकि सन् 2016 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में ग्रेजुएट लोगों के मामले में भारत पहले नंबर पर है। स्पष्ट है हमारे यहाँ ग्रेजुएट तो है पर ऐसे नहीं जिनके पास वे कौशल हो जिनको बाजार तलाश रहा है। मैकिन्सी का एक रिपोर्ट कहती है कि भारत के सिर्पफ एक चौथाई इंजीनियर ही नौकरी पाने के योग्य हैं।

भारत में कौशल विकास हेतु नीतिगत एवं संस्थागत सुधार

स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया तथा विभिन्न औद्योगिक संगठनों में कुशल कार्मिकों की मांग की आपूर्ति करने हेतु देशभर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की शुरूआत की गई, लेकिन यह गति अत्यंत धीमी रही। सर्वप्रथम 1950 में देश के प्रमुख जिलों में 50 ITIs की स्थापना की गई। 1956 ई० में व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं प्रमाणन के नियमन हेतु भारत सरकार द्वारा एक सलाहकार निकाय के रुप में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) की स्थापना की गई। 1961 में उद्योगों में कुशल श्रम की आपूर्ति हेतु प्रशिक्षुता अधिनियम आया। इसका उद्देश्य उद्योगों की कुशल जनशक्ति आवश्यकता हेतु प्रशिक्षुओं को प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के माध्यम से तैयार करना था। 1977 में UNDP तथा ILO के सहयोग से उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की शुरूआत हुई, जिसके अंतर्गत 15 राज्यों में चुनिंदा कौशल क्षेत्रों में युवाओं को 16 सप्ताह का प्रशिक्षण करने की व्यवस्था की गई, लेकिन ये सभी कार्य अत्यंत धीमी गति से चले। फलतः देश में पर्याप्त कुशल श्रमशक्ति का विकास नहीं हो पाया। 1990 के दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण उदारीकरण और निजीकरण ने बाजार में प्रतिस्पर्द्धा को जन्म देकर विभिन्न क्षेत्रों में कुशल कार्मिकों की मांग के लिए रास्ते खोले। फलतः 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के अंतर्गत 2007 में कौशल विकास हेतु विभिन्न एजेंसियों के सहयोग आधारित एकीकृत त्रिस्तरीय मॉडल एवं कौशल विकास पहल स्कीम की शुरूआत हुई। इसी योजना के अंतर्गत 2007 में योजना आयोग द्वारा कौशल विकास पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया जिसके रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2008 में देश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना की गई की गई। इस संस्था के निर्देशन में सर्वप्रथम सार्वजनिक निजी साझेदारी से बड़े गुणवता वाले लाभ हेतु

व्यावसायिक संस्थानों का निर्माण प्रारंभ हुआ। वर्ष 2009 में पहली बार कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास नीति 1.0 का निर्माण किया गया, साथ ही राष्ट्रीय कौशल विकास निधि का भी गठन किया गया। इस नीति के अंतर्गत सम्मानजनक रोजगार हेतु बेहतर कौशल, ज्ञान व अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त योग्यताओं द्वारा सशक्त कार्यबल पर जोर दिया गया तथा 2022 तक 50 करोड़ लोगों को तकनीकी रूप से कुशल बनाने का लक्ष्य रख गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कौशल विकास के महत्व से पहचान इस हेतु उनके कार्य किए गए। इस योजना में रणनीतिक तौर पर कौशल विकास शिक्षा व स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया तथा रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्यमिता हेतु प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की गई। इन सबके बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या के अनुपात में संस्थानों की संख्या बहुत कम रही। तब नवम्बर 2014 में भारत सरकार द्वारा कौशल विकास की गति को तीव्र करने हेतु वृहत पैमाने पर बदलाव हुआ तथा राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय नाम से एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया। सभी कौशल विकास के प्रयासों को समन्वित विकास करने के लिए इसकी स्थापना हुई तब औद्योगिक प्रशिक्षण, शिक्षुता और अन्य कौशल विकास जिम्मेदारियों को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से स्थानांतरित कर इस नए मंत्रालय को दे दिया गया। यह मंत्रालय देश भर में कौशल विकास के सभी प्रयासों का समन्वय करने, कुशल श्रमशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को दूर करने, व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण ढांचे का निर्माण करने, कौशल उन्नयन करने, न केवल मौजूदा नौकरियाँ के लिए बल्कि सृजित की जाने वाली नौकरियों के लिए भी नए कौशलों और नवीन सोच का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी है। मंत्रालय का उद्देश्य कुशल भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए गति और उच्च मानकों के साथ बड़े पैमाने पर कुशल बनाना है। अभी देश में कुल 17 मंत्रालय कौशल विकास हेतु अपने–अपने स्तर पर कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन कर रहे है। इनके द्वारा कौशल विकास हेतु संचालित योजनाओं में स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैण्ड अप इंडिया आदि प्रमुख है।

इसकी सहायता करने के लिए इसके विभिन्न कार्यात्मक खंड इस प्रकार हैः

प्रशिक्षण महानिदेशालय, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास निधि और 38 क्षेत्र कौशल परिषद के साथ–साथ 33 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत लगभग 15000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) और NSDC के साथ 187 प्रशिक्षण भागीदार पंजीकृत है। मंत्रालय ने कौशल विकास केन्द्रों, विश्व विद्यालयों और इस क्षेत्रा के अन्य गठबंधनों के मौजूदा नेटवर्क के साथ काम करने का भी इरादा किया है। इसके अलावा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, उद्योग और गैर–सरकारी संगठनों के साथ बहु स्तरीय जुड़ाव और कौशल विकास प्रयासों के अधिक प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए सहयोग शुरू किया गया है।

नीतिगत सुधर के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास नीति 2009 के बाद वर्ष 2015 में कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015 लाया गया। इस नीति के मुख्य उद्देश्य थेः देश के लोगों को सतत् रोजगार व सतत् आजीविका हेतु नवाचार आधरित उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देना, बड़े पैमाने पर तेजी से उच्च स्तरीय कौशल विकास को बढ़ावा देना, कौशल विकास को औपचारिक शिक्षा के साथ एकीकृत करना तथा सामाजिक, भौगोलिक रूप से पिछड़े वंचित समूहों एवं महिलाओं को समान कौशल के साथ–साथ उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करना। यह नीति कौशल विकास को गति देने में सफल रही। वर्ष 2016 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्टार्टअप नीति 2016 का निर्माण हुआ। इस नीति के मुख्य उद्देश्य थे– भारतीय उच्च शिक्षा की तकनीकी संस्थाओं में उद्यमशीलता परिस्थितिक तंत्रा को बढ़ावा देना, तकनीकी संस्थाओं के बीच मजबूत अंतर संस्थागत भागीदारी से उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देना तथा उच्च शिक्षा को उद्यमिता, कौशल विकास एवं मानव संसाधन विकास से जोड़कर सामाजिक मुद्दों के मद्देनजर नवीन उद्यमों को प्रोत्साहन देना।

अगस्त 2018 में केन्द्र द्वारा औद्योगिक क्रांति 4.0 की घोषणा की गई। इसके तहत देश के 19 राज्यों में युवाओं को उच्च तकनीकी क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अंतर्गत शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के

माध्यम से इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट कृषि, स्वास्थ्य सुविधा, सिटी, स्मार्ट फोन तकनीशियन सह एप टेस्टर इत्यादि में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

शिक्षा जगत और उद्योग जगत के बीच के मौजूदा अंतराल को पाटने के लिए 2019 में श्रेयस नामक योजना की शुरूआत की गई। श्रेयस का पूरा नाम है – (स्कीम पफॉर हायर एजुकेशन युथ इन अप्रेंटिशशीप एंड स्कील्स) उच्च शिक्षा प्राप्त युवकों के बीच प्रशिक्षण तथा कौशल के लिए योजना। इसके तहत युवकों को औद्योगिक संस्थानों में अप्रेंटिश के रूप में काम का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकारी योजना के अनुसार 2021 तक श्रेयस के तहत 50 लाख छात्रों को इस तरह का व्यावहारिक प्रशिक्षण मिल जाएगा।

कौशल विकास के विभिन्न कार्यक्रमों और इस दिशा में की जा रही पहल के तहत प्रशिक्षुता प्रशिक्षण में लंबे समय से आपेक्षित कई सुधार किए जा चुके हैं, जिससे देश में प्रतिभा के लगातार विकसित हो रहे भंडार और रोजगार की तलाश कर रहे प्रशिक्षित नौजवानों दोनों ही की जरूरतें पूरी करने में मदद मिली हैं। इसी के तहत प्राचीन गुरू शिष्य परंपरा का अनुशरण करते हुए सरकार ने प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 में व्यापक सुधार किए तथा स्किल्स इंडिया के प्रति प्रशिक्षकों एवं गुरुओं के योगदान को स्वीकारते हुए उनके सम्मान में कौशलाचार्य पुरस्कारों की घोषण की। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली कौशल प्रतियोगिता युवाओं में कौशल विकास के प्रति जागरूकता लाने में अहम् भूमिका अदा कर रही है।

अगस्त 2016 में सरकार ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना शुरू की जो विभिन्न उद्योगों के कार्य स्थलों में बुनियादी प्रशिक्षण और काम करते हुए व्यावहारिक अनुभव हासिल करने में गाइड का काम करती है। यह कौशल विकास सबसे टिकाऊ मॉडलों में से एक है। इसी तरह का एक नवंबर 2016 में MSDE ने विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित ''स्ट्राइड'' (स्किल स्ट्रेन्थेनिंग फॉर इंडस्ट्रीयल वैल्यु इन्हान्समेंट) यानी औद्योगिक उपयोगिता बढ़ाने के लिए कौशल सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में कौशल की आपूर्ति करना था। इसे ITIs में भी शुरू किया गया।

भारत कौशल रिपोर्ट 2019 के अनुसार हाल के वर्षों में ITIs और पॉलीटेक्निकों के अंतिम वर्ष के छात्रों की रोजगार क्षमता में गिरावट आई है और इलेक्टॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग और IT पाठ्यक्रमों में रोजगार की दर सबसे अधिक है। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि देश भर के विभिन्न संस्थानों के लगभग 43 प्रतिशत इंजिनियर बेरोजगार रह गये थे ऐसे स्थिति में इंटर्नशिप के लिए उद्योग गठबंधन और इसके दायरे में रोजगार योग्य कौशल को शामिल करके कौशल विकास को और अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में व्यावसायिक शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी मानव संसाधन करने को समर्पित होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक तीन शिक्षा नीतियाँ बन चुकी है। सबसे पहली शिक्षा नीति का निर्माण 1968 में किया गया। इस शिक्षा नीति में भारतीय शिक्षण पद्वति का आधारभूत ढांचा तय किया गया। इस शिक्षा नीति से संबंधित रिपोर्ट में व्यावसायिक शिक्षा को अहमियत मिली, जिसमें कहा गया कि उच्चतर माध्यमिक के अच्छी तरह से प्रशिक्षित छात्र कई तरह के काम कर सकते हैं और उन्हें विश्वविद्यालयों से उपाधियों की कोई जरूरत नहीं होती। इस रिपोर्ट में इच्छुक छात्रों को विभिन्न व्यावसायों के लिए तैयार करने की बात की गई।

देश की दूसरी शिक्षा नीति वर्ष 1986 में आई। इस शिक्षा नीति में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कौशल विकास हेतु व्यावसायिक शिक्षा को एक विकल्प के रूप में प्रदान किया गया। इस तरह रोजगार प्रदाता कौशल के रूप में महत्व प्राप्त नहीं हो पाने के कारण कौशल विकास की दृष्टि से यह नीति प्रभावहीन ही रही।

देश की नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास को विशेष महत्व प्रदान करते हुए व्यावसायिक शिक्षा को वर्ग 6 के कक्षा से ही एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रावधन किया गया। अब उच्च प्राथमिक वर्ग (6) से ही किसी एक व्यावसायिक कौशल को अपने विषय में शामिल करना अनिवार्य होगा। इसके लिए कक्षा

6 से 8 में पढ़ने के दौरान सभी विद्यार्थियों को एक दस दिन के लिए बस्ता रहित पीरियड में भाग लेना होगा जब वे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ प्रशिक्षु के रूप में काम करेंगे। इसी तर्ज पर कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को छुट्टियों के दौरान भी, विभिन्न व्यावसायिक विषय समझने के लिए अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इस नीति में किया गया है कि वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा। इस दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी माध्यमिक स्कूलों के शैक्षणिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक विद्यालय, ITIs, पॉलीटेक्निक और स्थानीय उद्योग आदि के साथ संपर्क और सहयोग करेंगे। स्कूलों में हल और स्पॉक मॉडल में कौशल प्रयोगशालाएँ भी स्थापित और सृजित की जाएगी। उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सॉफ्टस्किल्स सहित विभिन्न कौशलों में समिति अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स करने की भी अनुमति होगी।

निष्कर्ष एवं सुझाव

भारत में कौशल विकास हेतु किए गए सभी प्रयासों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि आजादी के बाद हुए प्रारंभिक प्रयासों में काफी कमी रही। परंतु 21वीं सदी में प्रवेश के उपरांत कौशल विकास हेतु किए गए प्रयासों में काफी तीव्रता आती गई। वर्तामान समय में केन्द्र तथा राज्य सरकार अपने–अपने स्तर पर कौशल विकास हेतु पूर्णरूप से प्रयत्नशील है। परंतु अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कौशल विकास हेतु किए गए संस्थागत प्रयासों में अभी काफी कमियाँ हैं। अभी संस्थानों में बेहतर प्रशिक्षक, आधारभूत संरचना, प्लेसमेंट सेल आदि स्तर पर भारी कमी दिख रही है। प्रशिक्षकों को निरंतर नये कौशलों से अवगत कराने की आवश्यकता है, साथ ही उद्योगों के माँग को ध्यान में रख कर कौशल विकास पाठ्यक्रम में समय–समय पर सुधार की आवश्यकता है तथा उद्योगों और प्रशिक्षण केन्द्रों को अप्रेन्टिंसशीप से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाना अपेक्षित है।

संदर्भ सूची

1. NSSO (2015) शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर 68वें दौर की रिपोर्ट (22 सितम्बर 2015)
2. गुप्ता पराग, गुप्ता मुकेश कुमार, खुराना साक्षी, सक्सेना अंकित (2020) – भारत में कौशल विकासः भविष्य की रूप रेखा, *कुरूक्षेत्र,* फरवरी 2020, पृ0 सं0 9–11
3. ठाकुर सुनिल के0, त्रिपाठी सुभ्रांशु (2020) रोजगार के परिप्रेक्ष्य में कौशल विकास, *कुरूक्षेत्र,* फरवरी 2020, पृ0 सं0 12–15.
4. आइप सेरा (2020) भारत के स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा, *कुरूक्षेत्र,* फरवरी 2020, पृ0सं0 23–26.
5. तिवारी नीलेश, शर्मा तुलिका (2019) ग्रामीण शिक्षा में कौशल विकास, *कुरूक्षेत्र,* नवम्बर 2019, पृ0सं0 38–44
6. कुमार सर्वेश (2018), *भारतीय अर्थव्यवस्था,* सार्थक प्रकाशन।
7. मिश्रा सुकृति, (2017) Skill Development : The Key to Human Resource Skill Development in India, पृ0सं0 44–50
8. दाघीच, शर्मा बालेन्द्र (2020), युवाओं की भागीदारी से होंगे कौशल विकास कार्यक्रम मजबूत *कुरूक्षेत्र,* फरवरी 2020, पृ0सं 36–39

****